

फर्द अहकाम

लाहूर बनाम गंगालक्ष्मण

नाम न्यायालय AOM कस्ली

केस संख्या

122/2020

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिश
	03/02/25	<p>पत्रावली वास्ते कादेश पेश हुई वादी अधिकता उपस्थित। वादी अधिकता की वादपत्र पर एक पक्षीय बद्ध पूर्व में चुनी गई।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं वादी अधिकता की बद्ध पर मतलब करने के उपरान्त वादी को वाद धारा 88, 89, 138 आर.टी.एल के तहत घोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृष्ठ सं लियेवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया जो इस कादेश का भाग रहेगा। डिक्री पचास जारी है।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर के क्रम है।</p> <p>यह निर्णय आज दिनांक 03/02/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

सहायक न्यायाधीश
कस्ली जिला न्यायालय

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्दादाई
(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर
निवासीन अधिकारी शिप्रा जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर
वादीगण प्रतिवादीगण

बनाम

लादू पुत्र रामकंवार
जाति गुर्जर निवासी ग्राम तूंगी,
तह. बस्सी, जिला जयपुर।

1. गंगासहाय पुत्र रामप्रताप
2. जगदीश पुत्र रामप्रताप
3. प्रभाती पत्नि रामप्रताप
4. उम्मेदसिंह पुत्र शंकर
5. कैलाश पुत्र शंकर
6. रामदयाल पुत्र शंकर
7. शांति पत्नि शंकर
8. रसाल पुत्री शंकर
9. राजन्ती पत्नि गोठूमल
समस्त जाति गुर्जर निवास ग्राम तूंगी,
तह. बस्सी जिला जयपुर।
10. उपपंजीयक तूंगा, उपतहसील तूंगा, तह.
बस्सी, जिला जयपुर।
11. नायब तहसीलदार तूंगा, उपतहसील
तूंगा, तह. बस्सी जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
बस्सी तह. बस्सी, जिला जयपुर।

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

कदमा नम्बर 122/2020
पोसीएमएस नम्बर:-2020/00216

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद खारिज
किया जाता है। पक्षकारान् खर्चा अपना-अपना वहन करें।.....निजी.....मुबलिक.....
बाबत.....खर्चा.....इस मुकदमें का मय सूद
गौरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा
करें।

दस्तख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 03.02.2025 को जारी किया गया।


सहायक कलक्टर
दस्तख्त बस्सी जिला-जयपुर



	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		

बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
---	--	--	---	--	--

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।


 सहायक कलक्टर
 बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण